34

भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश

राज्य मुख्यालय

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 462002 (म.प्र.)

दूरभाष : 0755-2661263, 2737446, फैक्स – 2661263

website : bsgmp.net, E-mail: scoutguide_bpl@dataone.in, scoutguide_bpl@hotmail.com

दिनांक.............................

क्र. .... क्रमांक / 9914 / रा.मु. / रा.परिषद / बैठक / 14–15 भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2014

प्रतिष्ठा में,

अध्यक्ष एवं
राज्य परिषद के समस्त सदस्य
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश ।

विषयः- दिनांक 24 मई 2014 को आयोजित राज्य परिषद की बैठक का कार्यवाही विवरण ।

....***....

माननीय,

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक **24** मई **2014** को आयोजित भारत स्काउट एवं गाइड राज्य परिषद की बैठक का कार्यवाही विवरण आपकी ओर प्रेषित है ।

सादर,

संलग्न – कार्यवाही विवरण

10.7.14

(जी. आर. शर्मा)
राज्य सचिव

दिनांक 24 मई 2014 को आयोजित राज्य परिषद् की बैठक का कार्यवाही विवरण

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. की राज्य परिषद की बैठक दिनांक **24 मई–2014** को दिन शनिवार समय दोपहर **12:00 बजे** भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, जिला संघ, इंदौर में **माननीय श्री नानाभाऊ मोहोड़, पूर्व राज्य मंत्री, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं अध्यक्ष, भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश** की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई, बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुये।

क्र.	परिषद सदस्य	पद	स्थान
01.	**श्री नानाभाऊ मोहोड़**	**अध्यक्ष**	**भोपाल**
02.	**श्री प्रकाश हेडाऊ**	**उपाध्यक्ष**	**इन्दौर**
03.	**श्री कैलाश मिश्रा**	**उपाध्यक्ष**	**भोपाल**
04.	**श्री प्रदीप वैश्य**	**कोषाध्यक्ष**	**भोपाल**
05.	**श्री जी.आर.शर्मा**	**राज्य सचिव**	**भोपाल**
06.	श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर	संयुक्त सचिव	भोपाल
07.	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	सहायक राज्य आयुक्त–स्काउट	उज्जैन
08.	श्रीमती संध्या जायसवाल	सहायक राज्य आयुक्त–गाइड	मंदसौर
09.	श्रीमती सीमा सोनी	सहायक राज्य आयुक्त–गाइड	भोपाल
10.	श्रीमती रेशू रजावत	सहायक राज्य आयुक्त–गाइड	ग्वालियर
11.	श्रीमती संगीता महाजन	सहायक राज्य आयुक्त–गाइड	रायसेन
12.	श्रीमती माया तिवारी	सहायक राज्य आयुक्त–गाइड	भोपाल
13	श्री प्रकाश दिसौरिया	राज्य संगठन आयुक्त–स्काउट	भोपाल
14.	श्रीमती चन्द्रकांता उपाध्याय	राज्य संगठन आयुक्त–गाइड	भोपाल
15.	श्रीमती सरिता चौबे	हेड क्वार्टर कमिश्नर–गाइड	भोपाल
16.	श्री रामनरेश तिवारी	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त–स्काउट	भोपाल
17.	श्री रमाशंकर तिवारी	जिला मुख्य आयुक्त–प्रतिनिधि	भोपाल
18.	श्री भंवर शर्मा	जिला मुख्य आयुक्त–प्रतिनिधि	भोपाल
19.	श्री अभय शर्मा	जिला मुख्य आयुक्त	देवास
20.	श्री गोवर्धनलाल जायसवाल	जिला मुख्य आयुक्त	मंदसौर
21.	श्री आर.एस.प्रजापति	जिला कमिश्नर–स्काउट प्रतिनिधि उ.	गुना
22.	श्रीमती अबिदा रजा	जिला कमिश्नर –गाइड प्रतिनिधि	भोपाल
23.	श्रीमती संनदा जैन	जिला कमिश्नर–गाइड	दमोह
24.	श्रीमती विजया गेहलोत	लीडर ट्रेनर – गाइड प्रतिनिधि	इन्दौर
25.	श्री दामोदर जैन	सहयोजित सदस्य–रा0क0	भोपाल
26.	श्री संजय गुप्ता	सहयोजित सदस्य	भोपाल
27.	श्री गोकुल दास ताम्रकार	सहयोजित सदस्य	भोपाल
28.	श्रीमती अनित्या सिंह	सहयोजित सदस्य–रा0क0	छतरपुर
29.	श्रीमती सरोज पटेरिया	सहयोजित सदस्य	भोपाल
30.	श्री अशोक द्विवेदी	ग्रुप स्काउटर प्रतिनिधि	खरगौन
31.	श्री विनोद मालवीय	ग्रुप स्काउटर प्रतिनिधि	होशंगाबाद
32.	श्री ऋषि कुमार त्रिपाठी	ग्रुप स्काउटर	रतलाम
33.	श्री राजेश नरगेर	ग्रुप स्काउटर	इन्दौर
34.	श्री शिवनारायण डाबर	ग्रुप स्काउटर	धार
35.	श्रीमती मोहिनी मालवीय	ग्रुप गाइडर प्रतिनिधि	उज्जैन
36.	श्री एन.डी.वैष्णव	स्काउटर प्रतिनिधि	मंदसौर
37.	श्री दयाशंकर तिवारी	स्काउटर प्रतिनिधि	छतरपुर
38.	श्रीमती लता चौहान	गाइडर प्रतिनिधि	खरगौन
39.	श्री संजय शर्मा	आजीवन सदस्य प्रतिनिधि	भोपाल
40.	श्री भगवती प्रसाद कुमावत	आजीवन सदस्य प्रतिनिधि	भोपाल
41.	श्री अंकित शर्मा	साधारण सदस्य प्रतिनिधि	भोपाल

42.	श्री दिलीप मेहता	साधारण सदस्य प्रतिनिधि	भोपाल
43.	श्री वीरेन्द्र श्रीवास्तव	साधारण सदस्य प्रतिनिधि	भोपाल
44.	श्री जीतेन्द्र शर्मा	साधारण सदस्य प्रतिनिधि	भोपाल
45.	श्री निखिल शर्मा	साधारण सदस्य प्रतिनिधि	भोपाल
46.	श्री ओमप्रकाश गुर्जर	साधारण सदस्य प्रतिनिधि	भोपाल
47.	श्री योगेश शर्मा	साधारण सदस्य प्रतिनिधि	भोपाल

विशेष आंमत्रित सदस्य

01.	श्री पी.एल.अहिरवार	विशेष आंमत्रित सदस्य	भोपाल
02.	श्री देवीसिंह ठाकुर	विशेष आंमत्रित सदस्य	इंदौर
03.	श्री मोहनलाल	विशेष आंमत्रित सदस्य	इन्दौर
04.	श्री राजेन्द्र लश्करी	विशेष आंमत्रित सदस्य	इन्दौर
05.	श्रीमती वंदना तैलंग	विशेष आंमत्रित सदस्य	इन्दौर
06.	श्रीमती सुनीता देशमुख	विशेष आंमत्रित सदस्य	इन्दौर
07.	श्रीमती जाग्रति एस पटेल	विशेष आंमत्रित सदस्य	इन्दौर
08.	श्रीमती ज्योतिबाला शर्मा	विशेष आंमत्रित सदस्य	इन्दौर
09.	श्रीमती भाग्यरेखा गायकवाड	विशेष आंमत्रित सदस्य	इन्दौर
10.	श्रीमती वैजयती गेहलोत	विशेष आंमत्रित सदस्य	इन्दौर
11.	कु. नीता वर्मा	विशेष आंमत्रित सदस्य	इन्दौर
12.	श्री सुरेश वीरमाल	विशेष आंमत्रित सदस्य	इन्दौर
13.	श्रीमती शफीका सयैद	विशेष आंमत्रित सदस्य	इन्दौर
14.	श्रीमती प्रतिभा जायसवाल	विशेष आंमत्रित सदस्य	इन्दौर
15.	श्री अनिल देखमुख	विशेष आंमत्रित सदस्य	इन्दौर
16.	श्रीमती अनीता सौलंकी	विशेष आंमत्रित सदस्य	इन्दौर

बैठक में राज्य सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को **गणपूर्ति** (कोरम) की सूचना देने के पश्चात ईश प्रार्थना के साथ बैठक प्रारंभ हुई, राज्य सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष, पदाधिकारियों एवं उपस्थित सदस्यो का अभिवादन कर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई। अध्यक्ष महोदय एवं मंचासीन पदाधिकारियों का पुष्पहार, पुष्पगुच्छ एवं स्कार्फ के साथ अभिवादन एवं स्वागत कोषाध्यक्ष, राज्य सचिव, संयुक्त सचिव, सहा.राज्य आयुक्त–स्काउट, एस.ओ.सी. (स्का.गा.) एस.टी.सी. (स्का.गा.) एवं जिला संघ इंदौर के पदाधिकारियों द्वारा किया गया।

बिन्दु क्र. 01: गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि :–

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि दिनांक 27.04.2013 को सम्पन्न राज्य परिषद् की बैठक का कार्यवाही विवरण कार्यावली (एजेण्डे) के साथ सम्मानीय सदस्यों को प्रेषित किया गया था एवं उसका वाचन कर सुनाया गया। जिसके सम्बन्ध में किसी सदस्य से आपत्ति प्राप्त नही हुई है। अतः पुष्टि की जाने हेतु प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत है।

श्री भंवर शर्मा, जिला मुख्य आयुक्त–प्रतिनिधि सहित राज्य परिषद सदस्यों ने बैठक कार्यवाही की पुष्टि की ।

निर्णय :– सदन द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई ।

बिन्दु क्र. 02: गत बैठक के पालन प्रतिवेदन की पुष्टि :–

दिनांक 27.04.2013 को सम्पन्न राज्य परिषद् की बैठक में लिये गये बिन्दुओं को पालन प्रतिवेदन राज्य सचिव ने सदन में प्रस्तुत किया और कहा कि पूर्व बैठक के एजेंडा, निर्णय अनुसार कार्यवाही की गई है एवं सभी सदस्यों को पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। श्री कैलाश मिश्रा, उपाध्यक्ष ने कहा कि पिछली बैठक में हमें समय पूर्व पालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया था तथा माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये थे कि पालन प्रतिवेदन पदाधिकारियों को भेजा जावे । इस बैठक के पूर्व भी हमें पालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । श्री संजय शर्मा ने भी श्री

मिश्रा का समर्थन किया और कहा कि मुझे भी भोपाल में कार्यालय जाने पर भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी की भविष्य में सभी पदाधिकारियों को जानकारी बैठक के एक सप्ताह पूर्व अवश्य भेजी जावे । आगामी बैठक से ऐसा नहीं होवे इसका ध्यान रखा जावे ।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि पालन प्रतिवेदन साधारण डाक से भेजा गया था एवं अनेक जानकारियाँ वेबसाईट पर सर्कुलर में अपलोड कर दी जाती है । माननीय को प्रदत्त फोल्डर में भी बैठक एजेंडा सम्बन्धित समस्त जानकारियाँ रखी गई हैं कृपया अवलोकन करें ।

1. **श्री एन.डी. वैष्णव, मंदसौर** द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य परिषद बैठक दिनांक 27.04.2013 के बिंदु क्र. 10 के अंतर्गत प्रस्ताव क्र. 04 में मेरे द्वारा रखे गये प्रस्तावों पर कार्यवाही की मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं है एवं कार्यवाही एक वर्ष से प्रचलन में है, वर्तमान में क्या स्थिति है ?

राज्य सचिव द्वारा कहा गया कि उक्त के संबंध में निर्णय हो रहा है आपको सूचित किया जायेगा। श्री वैष्णव के असहमत होने पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि समस्त जानकारी मुझे उपलब्ध कराई जावे । मैं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन देता हूँ ।

2. **श्री कैलाश मिश्रा, भोपाल** द्वारा उन्हें एवं अन्य अनेक सदस्यों को बैठक हेतु आमंत्रण पत्र प्राप्त न होने की जानकारी अध्यक्ष महो. को देते हुए कहा कि वह स्वयं आमंत्रण पत्र राज्य मुख्यालय से लाये हैं । अध्यक्ष महोदय ने उन्हें पुनः अवगत कराया कि भविष्य में चूक न होवें इसका राज्य सचिव द्वारा ध्यान रखा जावे एवं सभी सदस्यों की समस्याओं का समाधान किया जावे । श्री भंवर शर्मा ने मुद्दों अनुसार चर्चा करने का आग्रह किया ।

श्री मिश्रा ने उन्हें राज्य सचिव पद पर नियुक्ति हेतु आयु सम्बन्धी जानकारी लिखित में उपलब्ध करवाने का कहा ।

राज्य सचिव ने पालन प्रतिवेदन के समस्त बिंदुओं का वाचन सदन में किया ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी कार्य समय सीमा में होकर सूचना/जानकारियों से सदस्यों को अवगत कराया जावे ।

<u>निर्णय</u> :–<u>सदन द्वारा पालन पतिवेदन पर संतोष व्यक्त करते हुये स्वीकृति प्रदान की।</u>

बिन्दु क्र. 03: <u>सत्र 2012–2013 का वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन :–</u>

श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर, संयुक्त सचिव ने अवगत कराया कि सत्र 2012–2013 का वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत है। सभी माननीय सदस्यों ने इसका अवलोकन किया। पूर्व राज्य परिषद् में स्वीकृति अनुसार वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित किये गयें।

संस्था की प्रमुख उपलब्धियों का वाचन श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर, संयुक्त राज्य सचिव ने किया, जिसमें <u>प्रमुख उपलब्धियां</u> इस प्रकार है :–

1 **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर** आयोजित कार्यक्रमों 03 कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश के स्काउट–3, गाइड–1, रोवर–6 एवं रेंजर–2 कुल 12 सदस्यों ने प्रतिभागिता की ।
2 **राष्ट्रीय स्तर पर** आयोजित कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश से युवा कार्यक्रम अन्तर्गत 17 कार्यक्रमों 258 स्काउट –गाइड एवं वयस्क कार्यक्रमों में 21 कार्यक्रमों में 63 स्काउटर व 25 गाइडर ने प्रतिभागिता की ।
3 **प्रदेश** के 181 स्काउट एवं 117 गाइड राज्य पुरस्कार से सम्मानित हुये ।
4 **प्रदेश** के इन्दौर से 01 गाइड, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिये चयनित हुई ।
5 **राज्य स्तर** पर आयोजित स्काउट–गाइड पेट्रोल लीडर केम्पूरी में 249 स्काउट–गाइड ने प्रतिभागिता की।
6 **प्रदेश** में आयोजित कब/बुलबुल उत्सव में प्रदेश के 311 कब–बुलबुल ने प्रतिभागिता की।
7 **राज्य स्तर** पर आयोजित रोवर्स/रेंजर्स ट्रेकिंग में 79 रोवर/रेंजर ने प्रतिभागिता की ।
8 **राज्य स्तर** पर आयोजित रोवर्स/रेंजर्स समागम में प्रदेश के 80 रोवर्स/रेंजर्स ने प्रतिभागिता की ।
9 **पूरे प्रदेश** में 25 जुलाई को वृक्षारोपण कार्यक्रम मनाया गया जिसके अन्तर्गत 13409 वृक्ष रोपे गये ।

10 **प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता** सत्र 2011–2012 में सराहनीय कार्य करने पर प्रदेश के दो गाइड कम्पनी के शील्ड के लिये राष्ट्रीय स्तर पर चयनित की गई ।

11 **प्रदेश के** 287 कब मास्टर 1238 स्काउट मास्टर 14 रोवर लीडर ने बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

12 **प्रदेश के** 21 कब मास्टर एवं 96 स्काउट मास्टर ने एडवांस प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

13 **प्रदेश के** 9 स्काउट मास्टर एवं 3 रोवर लीडर ने हिमालय वुड बैज पार्चमेन्ट व बीड्स एवं 3 स्काउट मास्टर ने सहायक लीडर ट्रेनर ऑनरेबल चार्ज प्राप्त किया ।

14 **प्रदेश के** 22 बनी लीडर का प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

15. **प्रदेश की** 186 फ्लाक लीडर, 476 गाइड केप्टिन, 26 रेंजर लीडर ने बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

16. **प्रदेश के** 44 फ्लाक लीडर, 46 गाइड केप्टिन ने एडवांस प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

17 **प्रदेश की** 1 गाइड केप्टिन, 1 फ्लाक लीडर को हिमालय वुड बैज पार्चमेन्ट, सहायक लीडर ट्रेनर गाइड–1 एवं लीडर ट्रेनर गाइड–1 ने ऑनरेबल चार्ज प्राप्त किया ।

18 **बालिका स्व–स्वच्छता** कार्यशाला में 150 गाइडर प्रशिक्षित एवं प्रदेश की 2700 बालिकाओं को जानकारी दी गई ।

19 **''और नानी मान गई''** सफल कहानी **यूनिसेफ** के द्वारा विश्व स्तर पर चयनित की गई ।

20 यूनिसेफ अन्तर्गत केलेण्डर में **मध्यप्रदेश के कार्यक्रम सम्मिलित** ।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता रही एवं बच्चों ने बढ़ चढकर उत्साह से भाग लिया । स्काउटर–गाइडर, पदाधिकारियों एवं शुभचिंतकों को दीर्घकालीन बैज, मैडल आफ मेरिट, धन्यवाद बैज, बार टू मेडल ऑफ मैरिट से सम्मानित किया गया ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि कृपया अवगत कराये कि जिलों द्वारा दल पंजीयन राशि संभागीय मुख्यालय एवं राज्य मुख्यालय को भेजी जाती है परन्तु दल गणना में जिलों को अनेक स्थान पर निल या शून्य दिखाया गया है जिससे जिले के पदाधिकारी अप्रसन्न है ।

श्रीमती अंकुलनेरकर ने अवगत कराया कि यह सही है कि जिलों से राशि भेजी जाती है परन्तु राशि के साथ दल गणना नहीं भेजी जाती है इस सम्बन्ध में राज्य मुख्यालय द्वारा अनेक बार सूचित किया जाता रहा है एवं गौसवारा (गणना प्रपत्र) भी सभी को उपलब्ध कराया गया है परन्तु उसके अनुसार जानकारी नहीं भेजी जाती है जिससे ग्रेडिंग में यह स्थिति उत्पन्न होती है । अतः समस्त जिलों के पदाधिकारियों से निवेदन है कि जानकारी चाहे गये प्रपत्र अनुसार भेजी जावेगी तो सभी के लिये स्थिति आसान होगी एंव गणना सुविधाजनक होकर ग्रेडिंग में सुधार स्पष्ट दिखेगा ।

श्री एन डी वैष्णव ने सहमति देते हुए कहा कि जिलों में सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा इस बात का ध्यान रखा जावे । राज्य मुख्यालय द्वारा पुनः स्पष्ट निर्देश दिये जावे व सम्बन्धित से पूरी जानकारी सहित राशि प्राप्त की जावे ।

श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर ने सदन को अवगत कराया कि वार्षिक प्रतिवेदन में पूरे प्रदेश से प्राप्त जानकारियॉ सम्मिलित है। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदन की स्वीकृति हो तो मान्य किया जावें। श्री दिलीप मेहता एवं श्रीमती संध्या जायसवाल द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन को एवं कार्यक्रमों से सहमति व्यक्त करते हुए उपलब्धियों पर बधाई दी एवं सदन ने अपनी सहमति व्यक्त की ।

निर्णय :– **संस्था की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये सदन के सदस्यों ने वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया ।**

बिन्दु क्र. 04: सत्र 2012–13 की सी.ए. रिपोर्ट की पुष्टि :–

श्री प्रदीप वैश्य, राज्य कोषाध्यक्ष ने वर्ष 2012–13 की सी.ए. रिपोर्ट पर चर्चा करते हुये सदन सम्मुख वाचन किया और कहा कि वर्तमान प्रबंधन ने जब पद संभाला उस समय संस्था का लेख अस्त व्यस्त्त था । 05 वर्षो की लेखा सम्बन्धी बुक अप्राप्त रही है । गोधा समिति का गठन कर वित्तीय अनियमिता हेतु दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी पर आवश्यक कार्यवाही की गई तथा उपलब्ध जानकारियों के आधार पर सी.ए. आडिट करवाकर लेखा सुव्यवथित करने का प्रयास किया गया है । राज्य कार्यकारिणी द्वारा पारित सी.ए. रिपोर्ट मान. सदस्यों के

अवलोकन पश्चात् पारित होने हेतु प्रस्तुत है।

श्री कैलाश मिश्रा, उपाध्यक्ष ने कहा कि दोषियों के नाम उजागर होना चाहिये ।

श्री प्रदीप वैश्य ने कहा कि गोपनीयता के कारण नाम उजागर करना उचित नहीं है । श्री मिश्रा के द्वारा सदन के सामने पुनः नाम से अवगत कराने का कहने पर श्री वैश्य ने आफ द रिकार्ड नामों से अवगत कराया।

श्री भंवर शर्मा ने कहा कि संस्था में बच्चों से शुल्क के रूप में भी राशि प्राप्त होती है अतः दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही में विलंब नहीं होना चाहिये ।

श्री प्रदीप वैश्य ने कहा तथ्य एकत्रित करने में विलंब हुआ है ।

श्री कैलाश मिश्रा का कहना था कि 08 वर्ष के लंबे समय में मात्र इ.ओ.डब्ल्यू. में आवेदन भेजा गया है । सम्बन्धित को अभी तक कारावास में जाना चाहिये था तथा जिस किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है उसके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करना चाहिये ।

श्री दिलीप मेहता ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनके विरूद्ध पुलिस रिपोर्ट की जा चुकी है उनका भोपाल में राज्य मुख्यालय में सम्मान किया गया है और उस सम्मान में सदन में उपस्थित लोग भी शामिल है ।

श्री संजय शर्मा ने कहा कि संस्था में जो वित्तिय अनियमिततायें हुई है उसके बारे में तथ्य एवं जानकारी से हमें भी अवगत कराया जावे व आवश्यक कार्यवाही की जावे । अन्यथा हम नियमानुसार जानकारी प्राप्त करेंगे तथा सम्बन्धित दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावे।

श्री वैश्य ने कहा कि सदस्यों को प्राप्त सी.एस. रिपोर्ट का उनके द्वारा अवलोकन किया गया है सदन में चर्चा भी हुई है कृपया सी.ए.रिपोर्ट पारित करना चाहेंगे।

श्री अभय शर्मा ने कहा कि सी.ए. रिपोर्ट का इतनी जल्दी पूर्णतया अवलोकन करना संभव नहीं हो पाता है अतः इसे भविष्य में बैठक के 15 दिवस पूर्व भेजी जावे ।

कोषाध्यक्ष जी ने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने आगामी वर्ष की बैठक हेतु यह व्यवस्था दी है यद्धपि कुछ व्यवहारिक कठिनाईयाँ आती है सी.ए. रिपोर्ट बनने के पश्चात्, राज्य कार्यकारिणी द्वारा भी पारित किया जाता हैं। तत्पश्चात ही राज्य परिषद सदस्यों को भेजी जाना है इसमें कुछ समय लग जाता है ।

श्री अभय शर्मा ने कहा कि राज्य कोषाध्यक्ष बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं परन्तु विशेष प्रयास कर समय पर जानकारी भिजवाने की व्यवस्था का अनुरोध है । मैं सी.ए. आडिट रिपोर्ट को पारित करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ ।

मान.अध्यक्ष महोदय ने कहा की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हऐ अंकेक्षण प्रतिवेदन पारित किया जाना चाहिए।

निर्णय :– **मान. अध्यक्ष महोदय की बात पर सहमति प्रदान करते हुये सर्वसम्मति से सत्र 2012–13 की सी.ए. रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया । साथ ही पूर्व प्रबंधन जिनके कार्यकाल में वित्तिय अनयिमितता पाई गई है के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही का निर्णय लिया गया तथा वर्तमान प्रबंधन द्वारा की जा रही कार्यवाही का समर्थन किया।**

बिन्दु क्र. 05 एवं 06 : सत्र 2012–13 का वास्तविक आय–व्यय, सत्र 2013–14 का पुनरीक्षित बजट एवं सत्र 14–15 का प्रस्तावित बजट का अनुमोदन

राज्य कोषाध्यक्ष ने वर्ष 2012–13 का वास्तविक आय–व्यय, सत्र 2013–14 का पुनरीक्षित बजट एवं सत्र 2014–15 का प्रस्तावित बजट प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि हमने व्यय पर नियंत्रण का निरंतर प्रयास किया है।

1– वर्ष 2011–12 में संस्था को वास्तविक आय – वर्ष 2012–13 में संस्था को रू. 475.04 लाख की आय प्राप्त हुई। इस आय के विरूद्ध 509.95 लाख रू. का वास्तविक व्यय हुआ।

2– वर्ष 2013–14 का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2013–14 के पुनरीक्षित बजट में संस्था के 667.65 लाख रू. आय का प्रावधान करते हुये रू. 666.05 लाख व्यय का प्रावधान रखा गया है। जो परिषद् की ओर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया ।

3— वर्ष 2014—15 का प्रस्तावित बजट :— वर्ष 2014—15 के प्रस्तावित बजट में रू. 700.75 लाख . आय का प्रावधान किया गया है। इस आय के विरूद्ध रू. 706.00 लाख व्यय का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 5.25 लाख रू. घाटे का बजट वित्त समिति एवं राज्य कार्यकारिणी के अनुमोदन पश्चात राज्य परिषद् में अनुमोदनार्थ/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

बजट की शाखावार चर्चा करते हुये राज्य कोषाध्यक्ष ने माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि—

1 **स्थापना शाखा** —शासन द्वारा प्राप्त अनुदान से संस्था के कर्मचारियों के वेतन भत्ता, कार्यालयीन प्रबंधन एवं कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति दायित्वों का भुगतान किया जाता है।

2. **पंजीयन शाखा** — म.प्र. की समस्त शालाओं में प्रवेश के आधार पर पंजीयन राशि शालाओं से प्राप्त की जाती है जिसमें से शासन द्वारा निर्धारित राशि राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली भेजी जाती है शेष राशि से प्रशिक्षण गतिविधि, शिविर संचालन, प्रशिक्षण केन्द्रों का विकास प्रचार—प्रसार, पुरस्कार वितरण व्यय पर अनुसार की जाती है इसी राशि से भवन निर्माण हेतु लिए ऋण की किश्ते भी चुकाई जाती है।

3. **अभिरूचि शाखा** —स्काउट एवं गाइड की ड्रेस कच्चा माल क्रय कर तैयार की जाती है भंडार के माध्यम से शालाओं को भेजी जाती है इसमें कच्चे माल का क्रय, मजदूरी, मशीन, सयंत्र संधारण व्यय किया जाता है ।

4. **गणवेश भंडार शाखा** —संस्था की गतिविधि संचालन हेतु ड्रेस एवं अन्य सामग्री की प्राप्ति एवं पूर्ति की जाती है इसमें सामग्री का क्रय, मजदूरी कर किराया का भुगतान किया जाता है।

5. **परियोजना शाखा** —म.प्र. शासन द्वारा आदिवासी विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को स्काउट—गाइड की गतिविधियों के निःशुल्क संचालन हेतु राशि प्रदाय की जाती है। — **राज्य शिक्षा केन्द्र**— वर्ष 2014—15 के बजट में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में स्काउटिग—गाइडिंग गतिविधियों के संचालन हेतु 150 लाख का प्रस्ताव राज्य शिक्षा केन्द्र को भेजा गया था। — **अनुसूचित जाति विकास विभाग**—वर्ष 2014—15 में अनु.जाति विकास विभाग की संस्थाओं में स्काउटिंग—गाइडिंग गतिविधियों हेतु 50 लाख रू. प्रस्ताव भेजा गया है। 6. **पत्रिका शाखा** — भारत स्काउट एवं गाइड की गतिविधियों के प्रचार—प्रसार हेतु मासिक पत्रिका "बालचर रवि" का प्रकाशन किया जाता है जिसमें आजीवन सदस्य, वार्षिक सदस्यों से सदस्यता शुल्क ली जाती है राशि व्यय पत्रिका प्रबंधन, मुद्रण, प्रेषण में किया जाता है । बालचर पत्रिका के प्रकाशन एवं वितरण की व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार हेतु पत्रिका के आजीवन एवं सामान्य सदस्यों में वृद्धि एवं विज्ञापन से आय प्राप्त कर लाभप्रद स्थिति में लाने हेतु प्रयास सत्त किया जा रहें है।

श्री वैश्य ने मुख्य बजट टीप प्रस्तुत करते हुए माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि —

01. वित्त वर्ष 2013—14 में 638.60 लाख आय का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध अगस्त 2013 तक 59.76 लाख आय प्राप्त हो सकी है । आय बढाने हेतू सतत प्रयास किये जा रहे है । किये गये प्रयासो को ध्यान रखते हुए 667.65 लाख आय प्राप्त होने का अनुमान है । इसी प्रकार व्यय हेतु 646.22 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध अगस्त 13 अंत 136.48 लाख मात्र व्यय हो सके है । भावी व्ययों को देखते हुए 666.75 का प्रावधान पुनरीक्षित कर बजट प्रस्तुत किया गया है । वित्त वर्ष 2014—15 के लिए 700.75 लाख का अनुमान प्रस्तुत किया गया है । जिसके विरुद्ध 706.00 लाख व्यय प्रस्ताव किया गया है । इस प्रकार वर्ष 2014—15 का 5.25 लाख का घाटे का बजट समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

02. वित्त वर्ष 2013—14 में राज्य शासन से अनुदान 1.30 करोड़ प्राप्त होना संभावित है जिसका शासन बजट में समावेश किया गया है जो निकट भविष्य में प्राप्त होने की जाने की कार्यवाही प्रचलन में है ।

03. संस्था के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित सत्वों के भुगतान हेतु 20.00 लाख का प्रावधान बजट में किया गया है ।

04. पंजीयन प्राप्त करने हेतु जिला स्तर पर अंकेक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है । विभिन्न शालाओं में लंबित पंजीयन प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

05. संस्थागत निर्माण ईकाई के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास सतत जारी है । जिसके फलस्वरुप विक्रय केन्द्र को आवश्यक मांग पूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ।

06. परियोजना शाखा में वित्त वर्ष 2013—14 में राशि शासन से उपलब्ध न कराये जाने के कारण गतिविधियों का संचालन वर्तमान में बाधित है । भविष्य के लिए बजट प्रावधान किया जाकर के राशि प्राप्त करने हेतु प्रयास जारी है । सफलता प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अनुसार गतिविधियों का संचालन किया जाना संभव हो सकेगा।

07. **पत्रिका के स्वरुप एवं गुणवत्ता में सुधार करते हुए पत्रिका के कलेकर में प्रगति की जा रही है । इस हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है जिससे अजीवन एवं वार्षिक सदस्यता वृद्धि हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है ।**

सदन में सुझाव आमंत्रित करने पर श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि राज्य शासन से प्रतिमाह नियमित विज्ञापन प्राप्त करने का प्रयास किया जावे । इस हेतु माननीय शिक्षा मंत्री जी से संपर्क किया जावे एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से भेंट कर चर्चा की जावे । इससे संस्था को स्थाई लाभ होगा ।

श्री एन डी वैष्णव ने समर्पित शिक्षक जो बच्चों को राष्ट्रपति पुरस्कार तक ले जाते हैं को पुरूस्कृत करने की बात कही ।

श्रीमती चंद्रकांता उपाध्याय ने उन्हें अवगत कराया कि राज्य मुख्यालय द्वारा शिक्षकों हेतु नियम बनायें गये है एवं प्रतियोगिता रखी जाती है और प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिन जिलों से जानकारी प्राप्त होती है उनको सम्मानित किया जाता है ।

श्री भंवर शर्मा ने कहा कि जिला मुख्य आयुक्त की सहमति से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्काउट राशि व्यय की स्वीकृति दी जावे क्योंकि हम राज्य मुख्य आयुक्त के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं ।

श्री प्रदीप वैश्य ने कहा कि हमने जिला कोषाध्यक्ष, डी.ई.ओ. के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खाता खोलने के प्रयास किये हैं परन्तु जि.शि.अ. पूर्ण सहमत नहीं होते हैं अतः व्यवस्था नहीं बन पाई है । इस हेतु हम निरंतर प्रयासरत है । **श्री दिलीप मेहता** का कहना था कि डी.ई.ओ. और उनके साथ पदस्थ सहायक ही स्काउटिंग चलाते हैं । **श्री विनोद मालवीय** का कथन था कि किसी भी जिले में संयुक्त बैंक खाते नहीं खुले है मुश्किल से 04–05 जिलों में ऐसी व्यवस्था होगी जबकि जिला संघ के पदाधिकारियों को इसमें सम्मिलित होना चाहिये । **श्री कैलाश मिश्रा** का कथन था कि हमारे अध्यक्ष महोदय अपनी क्षमता का उपयोग कर यह व्यवस्था करा सकते हैं व शासन स्तर पर आदेश जारी करा सकते हैं । **श्री अभय शर्मा** ने कहा कि जो भी कार्यवाही हो व संस्था के नियमों के मुताबिक हो ।

<u>निर्णयः–</u>सदन में बजट पर चर्चा की गई मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा भविष्य में परिषद् कार्यवाही हेतु विचारधीन सामग्री परिषद् की निर्धारित तिथि से 15 दिवस पूर्व समस्त मान. सदस्यों की ओर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बजट जैसा महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृति के अभाव में कार्यालय का कार्य प्रभावित न हो इस बात पर ध्यान रखतें हुये परिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से बजट पारित किया । साथ ही जिला संघ के खातों का संचालन संयुक्त हस्ताक्षर से करने तथा व राशि आहरित करने के पूर्व नस्ती पर जिला मुख्य आयुक्त का अनुमोदन लेने का निर्णय भी लिया गया । जिले के समस्त स्काउट–गाइड के कार्यक्रमों का अनुमोदन भी जिला मुख्य आयुक्त से लेने का निर्णय लिया गया ।

बिन्दु क्र. 07: <u>सत्र 2014–15 का प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम एवं वार्षिक योजना का अनुमोदन :–</u>

श्री प्रकाश दिसौरिया, राज्य संगठन आयुक्त (स्का.) ने अवगत कराया कि संस्था द्वारा राज्य स्तर, संभागीय स्तर, जिला एवं ब्लाक स्तर पर आयोजित होने वाले वार्षिक कार्यक्रम तथा संस्था की वार्षिक योजना तैयार कर माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रमों का लोक शिक्षण संचालनालय के कैलेण्डर में भी सम्मिलित कराया गया है। राज्य कार्यकारिणी, राज्य योजना समिति में भी इसके बारे में चर्चा होकर पारित किया गया है। हमारे द्वारा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सभी क्षेत्रों के लगभग 80 कार्यक्रमों का वार्षिक कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें एडवेंचर, आपदा प्रबंधन, जल स्काउटिंग, ट्रेनर मीट, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, प्रशिक्षण लीडर, प्राचार्य संगोष्ठी, राज्यपाल अवार्ड कार्यक्रम आदि सभी सम्मिलित है

अतः माननीय सदन इसका अनुमोदन करना चाहेगा। यदि सदस्यगण सुझाव देना चाहें तो उनके सुझावों का स्वागत है।

श्री विनोद मालवीय ने कहा कि बेसिक स्काउट मास्टर प्रशिक्षण शिविर मात्र जिलों में माह अगस्त में रखा गया है यह समय कम है अवधि बड़ाई जाना चाहिये व इन्हें राज्य स्तर पर भी आयोजित किये जाने चाहिये ।

श्री दिसोरिया ने अवगत कराया कि राज्य शिक्षा केन्द्र से अनुदान प्राप्त होने पर इस दिशा में विचार किया जा सकता है वैसे अभी प्रशिक्षकों की भी कुछ कमी है ।

श्री रमेश शर्मा ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी की भी समीक्षा बैठक माननीय शिक्षा मंत्री के निर्देश जारी कर होना उनके अध्यक्षता में आयोजित की जावे इसमें स्काउटिंग सम्बन्धी चर्चा की जावे जिसके अच्छे परिणाम आवेंगे ।

श्री प्रकाश दिसोरिया ने कहा कि सुझाव अच्छा है इस हेतु हम प्रयास करेंगे साथ ही शासन स्तर पर आयोजित वीडियो कांफ्रेंस हेतु भी हम प्रयासरत है । हमने वार्षिक योजना भी बनाई है जिसके आधार पर ग्रेडिंग भी जारी होती है । यह वार्षिक कार्यक्रम एवं कार्ययोजना आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की है कृपया अनुमोदन प्रदान करना चाहेंगे ।

सदन ने कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने वाले सभी सहयोगी हेतु धन्यवाद व्यक्त किया एवं वार्षिक कार्यक्रम एवं योजना सत्र 2014–15 पर अपनी सहमति प्रदान की ।

निर्णय :– **सदन द्वारा वार्षिक कार्यक्रम एवं कार्य योजना को सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु क्र. 08: राज्य कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्तावों का अनुमोदन

(अ) **राज्य सचिव ने दिनांक 11 अक्टूबर –2013 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव राज्य परिषद् के सम्मानीय सदस्यों को सूचनार्थ प्रस्तुत किये जो इस प्रकार थे–**

दिनांक 30.03.2013 राज्य कार्यकारणी की बैठक में लिए गये प्रस्तावः– आजीवन सदस्यता सूची का पुनः नवीनीकरण किया जाना था। जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया कि जिन सदस्यों की आजीवन सदस्यता 10 वर्ष या अधिक हो गई है उन्हे पत्र भेजकर सदस्यता नवीनीकरण की स्वीकृती प्राप्त की जावे। गठित समिति के सदस्यों के द्वारा आजीवन सदस्य को कार्यालय के पत्र कमांक 1790 दिनांक 19.06.2013, स्मरण पत्र कमांक 2396 दिनांक 17.07.2013, 3392 दिनांक 22.08.2013 एवं 4069 दिनांक 23.09.2013 द्वारा आवेदन पत्र भेजा गया। जिसमें से निम्नलिखित आजीवन सदस्यता का नवीनकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

1.	श्री विष्णु राजोरिया	भोपाल
2.	डॉ. प्रहलाद दास नेमा	इंदौर
3.	श्री अरविन्द बागड़ी	इंदौर
4.	श्री मनिष अग्रवाल	इंदौर
5.	श्री अजय बंसल	ग्वालियर

जिनका आजीवन सदस्यता हेतु अनुमोदन किया जाता है । सदन ने सर्व सम्मति से उक्त सम्मानीय सदस्यों को 10 वर्ष की आजीवन सदस्यता प्रदान करने हेतु तथा जिनकी आजीवन सदस्यता 10 वर्ष से अधिक हो गई है एवं नवीनीकरण आवेदन अप्राप्त है का नाम सदस्यता सूची से विलोपित किया जाने का निर्णय लिया ।

बिन्दु कमांक 06 संस्था के संविदा अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदनः– राज्य मुख्यालय द्वारा आवश्यकता अनुसार अधिकारी/कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति निम्नानुसार की गई हैः–

1.	मो.जफर कुरैशी	आडिटर
2.	श्री जे.आर.सोनी	आडिटर
3.	श्रीमती रत्नमाला मिश्रा	पी.आर.ओ.
4.	श्री जीवनलाल अहिरवार	कटर
5.	श्री रामेश्वर दयाल सेन	वार्डन
6.	श्री ओमप्रकाश रैकवार	रसोईया
7.	श्री राजेन्द्र दुबें	रसोईया
8.	श्रीमती ज्योति तिवारी	रसोईया
9.	श्रीमती संध्या श्रीवास्तव	कार्यालय सहायक (अनुकंपा नियुक्ति)
10.	श्री नीलेश आर्य	कार्यालय सहायक (अनुकंपा नियुक्ति)

सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया ।

बिन्दु कमांक 07 राज्य स्तरीय उप समितियों के प्रस्ताव का अनुमोदनः–

1. **राज्य स्तरीय स्का/गा बैज समिति**
   1. एक विषय के एक से अधिक परीक्षक नियुक्त किये जावे।
   2. जिला स्तरीय द्वितीय सोपान जांच में युनिफार्म, दल रिकार्ड, टेस्ट कार्ड व प्रथम सोपान का प्रमाण पत्र अनिवार्य हो।

3. तृतीय सोपान संभाग स्तर पर होगें जिसमें राज्य मुख्यालय से पर्यवेक्षक नियुक्त होगें। यदि जिले में अधिक संख्या है, तो जिले में संभाग से जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए।
4. कब–बुलबुल के दिवसीय जांच शिविर किये जावे व किसी प्रकार का शुल्क न लिया जावे, बच्चे स्वयं टिफिन लेकर आयेगें।

2. **राज्य स्तरीय स्काउट/गाइड उपसमिति**
   1. अशासकीय विद्यालयों की गणना कर पंजीयन का लक्ष्य निर्धारित किया जावे।
   2. प्रत्येक जिले में 04–04 कब–बुलबुल, 05–05 स्काउट–गाइड एवं 01–01 रोवर–रेंजर कुल 20 दलो का संचालन नियमित हो।
   3. प्रत्येक जिला संघ की परिषद व कार्यकारणी बैठक नियमित समय पर हो।
   4. अभिरूचि केन्द्र व रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम वर्ष भर जिला स्तर पर संचालित हो।
   5. उतकृष्ठ विद्यालयों के प्राचार्यो हेतु ग्रुप लिडर कोर्स आयोजित हो।
   6. एडवेंचर केम्प का अधिकाधिक प्रचार प्रसार हो कर प्रतिभागिता करावे।
   7. स्काउटर/गाइडर सम्मेलन संभाग के स्थान पर राज्य स्तर पर हो।

3. राज्य स्तरीय व्यस्क संसाधन प्रबंधन समितिः–
   1. प्रशिक्षण केन्द्र विकास समिति में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को सम्मिलित किया जावे।
   2. प्रति जिलो से 50 हजार से 1 लाख तक सहयोग राशि प्राप्त विकास करे।

4– व्यस्क संसाधन प्रबंधन समिति की बैठकः–

<u>मानवीय संसाधन</u>

1. व्यस्क प्रशिक्षण शिविरों में गुणवत्ता लाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र पर शिविर आयोजित हो।
2. आनरेरी/सेवानिवृत्त प्रशिक्षकों को जोड़कर सक्रिय रखा जावे।
3. कमिश्नर्स को प्रशिक्षित किया जावे ताकि जिलो में पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके।

<u>भौतिक संसाधन</u>

1. प्रशिक्षण केन्द्र को संसाधन युक्त तैयार किया जावे।

5– अलंकरण समिति

बार टू मेडल आफ मेरिट–1
मेडल आफ मेरिट–5
धन्यवाद बैज–24
दीर्घ कालीन बैज (10 वर्ष)–09

उपरोक्त अलंकरण से सम्मानित किया गया ।

बिन्दु क्रमांक 08 के समस्त बिंदु कर्मचारी कल्याण एवं सी.पी.एफ आदि से संबंधी पर कार्यालय से कार्यवाही अपेक्षित है।

बिन्दु क्रमांक 11 स्काउट गाइड सामग्री के नगद विक्रय पर प्रोत्साहन राशि 03 प्रतिशत देने का अनुमोदन ।

बिन्दु क्रमांक 12 राष्ट्रीय परिषद हेतु म.प्र. के सदस्यों की जानकारीः–

राष्ट्रीय परिषद सदस्यों हेतु म.प्र. से निर्धारित 09 सदस्यों में 1–श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला, रा.मु.आ.,2–श्री के.पी.सिंह, रा.आ.स्का., 3–श्रीमती लता गुड्डूवानखेड़े, रा.आ.गा., 4–श्री जी.आर.शर्मा, राज्य सचिव, 5– श्री प्रदीप वैश्य, राज्य कोषाध्यक्ष, 6–डॉ. रमाशंकर तिवारी, सहा.रा.आ.स्का, 7– श्रीमती रेशु राजावत, स.रा.आ.गा., 8–श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर, संयुक्त राज्य सचिव, 9–श्रीमती अनुभूति सिंह, जिला संगठक गा. उपरोक्तानुसार अनुमोदन किया गया।

<u>(ब) एजेन्डा बिन्दु क्रमांक 08 का (ब)</u>

<u>संस्था के संविदा अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदनः–</u> राज्य मुख्यालय भोपाल द्वारा आवश्यकता अनुसार अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नानुसार की गई है।

क्र.	नाम	पद	स्थान
1.	श्री आर.एन.तिवारी	सं.रा.प्र.आ.स्का.	राज्य मुख्यालय भोपाल
2.	श्री गोविन्द परिहार	चौकीदार	प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर
3.	श्री गणेश चौबे	वाहन चालक	राज्य मुख्यालय भोपाल
4.	श्रीमती कविता वर्मा	सं.कम्प्यूटर आप.	राज्य मुख्यालय भोपाल
5.	श्रीमती सुनीता पाण्डे	सं.कम्प्यूटर आप	राज्य मुख्यालय भोपाल
6.	श्री दयाशंकर तिवारी	सं.जिला संगठक	जिला संघ छतरपुर
7.	श्री जैनेन्द्र तिवारी	सं.कार्या.सहा.	संभागीय कार्या. शहडोल

8.	श्री नवीन पटैल	सं.कम्प्यु.आप.	संभागीय कार्या. सागर

<u>कार्यकारणी एवं राज्य परिषद से यह सूची अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई । सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।</u>

<u>राज्य कार्यकारिणी दिनांक 11 अक्टूबर 2013 में मान. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सम्मानीय सदस्यो द्वारा रखे गये प्रस्तावो पर चर्चा की गई जो इस प्रकार थी :–</u>

01. **<u>श्री प्रदीप वैश्य, राज्य कोषाध्यक्ष</u>** – श्री वैश्य ने मान. सदन को अवगत कराया कि <u>भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. के कुछ कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने हितो को साधने के लिये संस्था के अन्य कर्मचारियों को गुमराह कर बरगलाया गया एवं असवैधानिक कार्यवाही करते हुये भारत स्काउट–गाइड म.प्र. के सामान्तर एक अलग संघ का गठन किया गया। चूकि भारत स्काउट एवं गाइड एक संघ है स्काउट–गाइड संघ के सामान्तर अन्य संघ का गठन किया जाना नियम विरूद्ध है। कतिपय कर्मचारियों द्वारा दिनांक 26 सितम्बर 2013 को बिना कोई पूर्व सूचना के स्काउट–गाइड की वर्दी पहन कर प्रदर्शन किया गया एवं गाली–गलौच करते हुये संस्था विरूद्ध नरेबाजी की गई। प्रदर्शन को शांत करने के लिये पुलिस को बुलाना पडा एवं पुलिस के सहयोग से ही प्रदर्शन को शांत किया जाना सका जिससे कि भारत स्काउट–गाइड जैसी संस्था जो बच्चो के हित में कार्य करती है, उसकी छवि खराब कराने का प्रयास किया गया।</u> मेरा मान. अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायें एवं 02 सदस्यीय समिति का गठन का जॉच कराई जायें। **<u>–श्री आर.एन.तिवारी, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्का.)</u>** – श्री तिवारी ने दिनांक 26 सितम्बर 2013 को प्रदर्शन के संबंध में अवगत कराया कि में 1977 से स्काउटिंग से जुडा हुआ हूँ किन्तु मैने इससे पहले कभी वर्दीधारी लोगो को असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुये न कभी देख और न ही सुना है। मान. अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही एक साजिश के तहत एक सोच–समझ कर की गई गई एक कूटनीतिक कार्यवाही है। अगर प्रदर्शन में भाग लेने वाले कर्मचारियों को कोई आपत्ति थी तो वह मान. राज्य मुख्य आयुक्त महोदय से मिल बैठकर चर्चा भी कर सकते थें, उनके द्वारा की गई यह हडताल सर्वथा अनुचित है। ऐसे कतिपय कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाना चाहियें। **<u>–श्री प्रदीप वैश्य, राज्य कोषाध्यक्ष</u>** – श्री वैश्य ने कहा कि पूर्व में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री डी.एस. राघव, को संस्था में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। कार्यालय के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल में श्री राघव का अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है क्योंकि कुछ कर्मचारियों ने उनके समक्ष उपस्थित होकर योजना बनाई थी ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है। श्री राघव के राज्य मुख्य आयुक्त/राज्य सचिव कार्यकाल का कुछ वर्ष का लेखा का रिकार्ड ही कार्यालय में उपलब्ध नही है। इस वित्तीय घपले की जॉच किसी शासकीय उच्चस्तरीय समिति से कराई जायें, श्री डी.एस.राघव को अविलम्ब सलाहकार के पद से मुक्त किया जावे । **–श्री दामोदर जैन** ने श्री डी.एस.राघव को सलाहकार के पद से पद मुक्त करने के संबंध में कहा कि श्री राघव को पहले सलाहकार क्यों बनाया गया और अब क्यो हटाना जाना चाहिए । सदन को कोई भी निर्णय लेने के पूर्व हमेशा विचार करना चाहिए । यदि किसी ने कोई गलती की है तो उसके विरूद्ध एक ही बार में ठोस कार्यवाही की जाना चाहियें – **श्री आर एन तिवारी** ने कहा कि संस्था की यूनिफार्म पहन कर असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जाकर अनुशासनहीनता की गई । जिन्होंने उक्त कार्यवाही की अथवा सहभागी रहे उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे। यह साजिश कूटनीतिज्ञ तरीके से की गई । माननीय राज्य मुख्य आयुक्त जी सभी की कठिनाइयाँ सुनते हैं परन्तु उनके विरूद्ध संस्था में आंदोलन किया गया । जो भी पूर्व अथवा वर्तमान पदाधिकारी इस अनुशासन हीनता में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये । अतः जाँच हेतु एक समिति बनाई जावे ।

इस घटना हेतु सदन में निंदा प्रस्ताव लिया गया जिसे सर्व सहमति से पारित किया गया ।

<u>निर्णय</u> :– सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा एक 03 सदस्यीय समिति का गठन किया जावे जो घटना क्रम एवं उसमें पाये गये दोषी व्यक्ति के विरूद्ध जॉच कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । घटना की गंभीरता को देखते हुए श्री डी.एस.राघव को भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र. राज्य मुख्यालय से सलाहकार के पद से हटाया जावे ।

02. <u>श्री दामोदर जैन, सहयोजित सदस्य</u> – श्री जैन ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलो में दलो का गठन क्यो नही हो पा रहा है और सभी स्कूलो में दलो के गठन हेतु प्रयास किया जाना आवश्यक है। प्रदेश के हर प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल हमारे साथ जुडे, इसके लिये प्राचार्यो को सहमत किया जाना आवश्यक होगा, जिससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त किये जा सकते है। इसके लिये हमारे प्रयास यह होना चाहिऐ कि प्रशिक्षण शिविरो नियमित रूप से आयोजित हों एवं प्रत्येक जिलो में डाइट में भी शिक्षको के प्रशिक्षण हेतु लगातार शिविरो का आयोजन किया जाये जिससे नवीन शिक्षक भी प्रशिक्षित हो सके एवं अपने–अपने विधालयों में नियमित रूप से दलो का संचालन करे। इसके लिये शिक्षको को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

03. <u>श्री विनोद मालवीय, ग्रुप स्काउटर प्रतिनिधि</u> – श्री मालवीय ने कहा की भारत स्काउट एवं गाइड अनुशासन की प्रथम पाठशाला है और वही पर वर्दीधारी लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते है तो निश्चित रूप से आन्दोलन की साख गिरती है। श्री मालवीय ने म.प्र. में भर्ती हुये संविदा शिक्षको को भी प्रत्येक जिले की डाइट में प्रशिक्षण दिये जाने पर जोर दिया।

श्री आर.एन.तिवारी, एस.टी.सी. (स्काउट.) द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया गया कि शिक्षको हेतु प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन किया जाना आवश्यक है तथा अनुशासनहीनता करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए ।

<u>निर्णय :– सदन द्वारा उक्त प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई ।</u>

04 . <u>श्री प्रदीप वैश्य, राज्य कोषाध्यक्ष</u> – श्री प्रदीप वैश्य द्वारा संभागीय कार्यालयो की उपयोगिता एवं कार्यालय पर होने वाले व्यय भार देखते हुये उन्हें बंद किये जाने एव प्रदेश स्तर से ही आन्दोलन के संचालन किये जाने का प्रस्ताव रखा। उनके अनुसार पूरे प्रदेश को 05–06 जोन में बॉट कर क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त किया जाने संबंधी संभावना का प्रस्ताव रखा।

श्री आर.एन.तिवारी, एस.टी.सी. (स्का.) ने कहा कि संभागीय कार्यालयो को बंद करने हेतु एक समिति बनाकर उसके आधार पर निर्णय लिया जाना उचित होगा।

निर्णय :– सदन द्वारा उक्त प्रस्तावो पर सहमति प्रदान करते हुये एक 05 सदस्यीय समिति गठित कर 03 माह में कार्यवाही करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया ।

05 . <u>श्री जी.आर.शर्मा, राज्य सचिव</u> – राज्य सचिव द्वारा विगत कार्यकारिणी एंव परिषद में गठित छानबीन समिति की बैठक में की गई कार्यवाही से राज्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया जिसमें छानबीन समिति द्वारा पेंशन नियम (1976) 42(बी) एवं मूलभूत नियम 56(3) के अतंर्गत परीक्षण करने के पश्चात् दो अधिकारी/कर्मचारी श्री डी.पी. मिश्रा, सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट), श्री मदनमोहन गुप्ता, सहायक ग्रेड–3 के प्रकरण अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अनुकूल पाये गये ।

<u>निर्णय</u> :– सदन द्वारा छानबीन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर, संस्था हित में उक्त दोनों कर्मचारियों को पदच्युत करने के बजाय अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने हेतु छानबीन समिति के प्रस्ताव का ध्वनिमत से अनुमोदन किया ।

06 . <u>श्री जी.आर.शर्मा, राज्य सचिव</u> – राज्य सचिव द्वारा द्वारा सदन के सदस्यों को अवगत कराया गया कि श्री राजेन्द्र प्रसाद, संचालक, म.प्र. राज्य ओपन स्कूल भोपाल ने संस्था की अपीलीय समिति में रहने एवं कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की है ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी को अपीलीय समिति में रखा जाना उचित होगा । बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्री के.पी. सिंह, राज्य आयुक्त (स्काउट) द्वारा श्री राजेन्द्रप्रसाद के नाम के स्थान पर श्री पदीप वैश्य, राज्य कोषाध्यक्ष का नाम प्रस्तावित किया गया है ।

<u>निर्णय</u> :– **भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. की अपीलीय समिति में श्री राजेन्द्र प्रसाद के स्थान पर श्री प्रदीप वैश्य, राज्य कोषाध्यक्ष को अपीलीय सदस्य के रूप में नाम अनुमोदित किया गया ।**

<u>निर्णयः– दिनांक 11 अक्टूबर 2013 को राज्य कार्यकारिणी द्वारा पारित उक्त समस्त प्रस्तावों में लिये गये निर्णयों का राज्य परिषद् सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।</u>

बिन्दु क्र.09: <u>माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव पर चर्चा :–</u>

राज्य सचिव महोदय द्वारा मान. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राप्त प्रस्तावो पर चर्चा की गई प्राप्त प्रस्ताव इस प्रकार है :–

प्रस्ताव कमांक 01– संविदा वरिष्ठ जिला संगठक (स्का/गा) यदि प्रभारी सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का/गा) के दायित्वों का निर्वहन करते है तो उन्हे प्रतिमाह राशि 2000/– अतिरिक्त देय होगा। जिला संगठक को यदि अतिरिक्त जिले का प्रभार सौपा जाता है तो प्रतिमाह राशि रूपये 1000.00 देय होगा। प्रभार समाप्त होते ही उन्हें राशि मिलना बंद हो जावेगी ।

प्रस्ताव कमांक 02– स्काउट गाइड मासिक पत्रिका बालचर रवि हेतु विज्ञापन लाने वाले अधिकारी/ कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि 20% प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव कमांक 03– भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. के अधिकांश जिलो में कोई भी प्रोफेशनल कर्मचारी न होने के कारण गतिविधियों में प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। अतः सभी जिलो में कार्यालय सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर/जिला संगठक के रूप में संविदा कर्मचारी अथवा सेवा निवृत्त व्यक्ति से सीधे आवेदन प्राप्त कर निश्चित मानदेय/संविदा पर प्रशिक्षित व्यक्ति को रखा जावे। ताकि सभी जिलो में स्काउट गाइड की गतिविधियां संचालित हो सके। इस हेतु सभी जिलो में इस प्रकार की नियुक्ति की स्वीकृती हेतु लेकिन उक्त कर्मचारियों को निश्चित मानदेय एवं निश्चित समयावधि के लिए रखा जावेगा।

2–राज्य मुख्यालय भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. में प्रशासनिक वित्तीय एवं अन्य किसी कार्य विशेष कार्य हेतु निश्चित समय सीमा हेतु शासकीय सेवा निवृत्त योग्य अधिकारी एवं कर्मचारी तथा प्रशिक्षित योग्य व्यक्ति से सीधे आवेदन प्राप्त कर जिसे राज्य मुख्य आयुक्त चाहे को निश्चित समयावधि के लिए एवं निश्चित मानदेय में रख सकते है। इस प्रकार की संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगीं। यह नियम पूर्व से रखे सभी उक्त श्रेणीयों के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू होगें।

3— जिला संघ के जिला सचिव/जिला कोषाध्यक्ष पद पर कोई भी व्यक्ति 01 पदावधि से ज्यादा समय तक नही रहेगा। यदि वह चाहे की उक्त पद परिवर्तित कर जिला सचिव के स्थान पर कोषाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के स्थान पर जिला सचिव बन जाये यह नियम विरूद्ध होगा। जिला सचिव/कोषाध्यक्ष पर 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को भी न रखा जावे। यह आनरेरी व्यक्तियों पर लागू होगा।

4— राज्य मुख्यालय में लंबित राशि के भुगतान हेतु 1 लाख प्रतिमाह एफ.डी. में जमा करने पर मुख्यालय में राशि एकत्र हो सकेगीं। जिसका उपयोग आवश्यता पड़ने पर किया जा सकेगां। स्वीकृती हेतु प्रस्तुत ।

चर्चा प्रारंभ करते हुए श्री कैलाश मिश्रा ने कहा कि संस्था हित में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को सेवा से नहीं हटाया जावे व माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जावे । श्री डी.पी. मिश्रा श्री शिवकुमार तिवारी आदि को शासकीय जारी आदेश के तहत कार्य पर पुनः रखा जावे । श्री प्रदीप वैश्य ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन किया जाता है । आदेश यदि वैधानिक है तो अवश्य पालन किया जावेगा । श्री कैलाश मिश्रा ने माननीय अध्यक्ष जी से उनकी सहमती चाही जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो भी आवेदन है उन्हें मेरे पास भेजे जावे मैं उनका परीक्षण सम्बन्धित से करवाकर आवश्यक कार्यवाही करवाउंगा ।

श्री भवंर शर्मा एवं अन्य सदस्यों ने ने चर्चा में कहा कि क्र. 02 में पत्रिका विज्ञापन हेतु देय प्रोत्साहन राशि में शासकीय विज्ञापन वाले में नहीं दिया जावे। क्र. 03 (2) अनुसार मानदेय पर रखे जाने वाले अधिकारी की आयू का ध्यान रखा जावे एवं इस हेतु एक समिति का गठन किया जावे । बिंदु 3(4) के सम्बन्ध में श्री भंवर शर्मा ने कहा कि श्री डी.एस.राघव, पूर्व राज्य मुख्य आयुक्त ने कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रोविडेंट फंड की राशि का दुरूपयोग किया था। इस प्रकार का कार्य अब न हो एवं कर्मचारियों के हितों का पूर्ण ध्यान रखा जावे ।श्री कैलाश मिश्रा ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि बैंक एफ.डी. बनवाने कर्मचारियों के वेतन—भत्तों पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ना चाहिये ।

प्रस्ताव कमांक 04— **श्री प्रकाश दिसोरिया—एस.ओ.सी.(स्काउट) ने माननीय अध्यक्ष महोदय को कर्मचारियों के अच्छे दिन लाने की अपेक्षा करते हुए कहा कि संस्था के कर्मचारियों को छटवाँ वेतनमान नहीं मिल पा रहा है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है अन्य अनेक शासकीय कार्यालयों, अनुदानित संस्थाओं को वेतनमान मिल रहा है यह संस्था भी स्कूल शिक्षा विभाग से अनुदानित है जिसमें शासन के नियम लागु होते हैं कृपया संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु छटवाँ वेतनमान लागु करने का निवेदन है । श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि छटवें वेतनमान प्रदान करने की घोषणा आज माननीय करते हैं तो सभी को अत्यन्त प्रसन्नता होगी। श्री भंवर शर्मा ने भी कर्मचारियों को छटवें वेतनमान प्रदान करने हेतु अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया । श्री आर एस तिवारी ने शासन की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की । श्री प्रदीप वैश्य ने कहा कि कर्मचारियों को छटवें वेतनमान से थोड़ी ही कम राशि प्रदान की जा रही है। इस सम्बन्ध में मा.**

अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ आर एस तिवारी से चर्चा की गई । श्री तिवारी ने उन्हें छटवाँ वेतनमान देने की घोषणा करने पर सहमति व्यक्त की ।

निर्णयः— **अध्यक्ष महोदय ने सभी से चर्चा अनुसार सहमति प्रकट की और निर्णय दिया की संस्था में नियमित कर्मचारियों हेतु छटवाँ वेतनमान लागु किया जाने हेतु शासन को लिखा जावे ।**

प्रस्ताव कमांक 05— श्रीमती चंद्रकांता उपाध्याय, एस.ओ.सी. (जी) ने माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि वर्तमान में संस्था में शासन नियमानुसार समय पर मंहगाई भत्ता तथा समयमान वेतनमान लागु नहीं हो पाता है एवं एरियर की राशि भी नहीं मिल पाती है कृपया इस हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करना चाहेंगे ।

निर्णयः— अध्यक्ष महोदय ने नियमित कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ते, पदोन्नति, समयमान वेतनमान व म.प्र. शासन द्वारा लागु भत्ते समय पर प्रदान करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हुए राज्य सचिव को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

चर्चा के दौरान मंच पर पदासीन श्री प्रकाश हेडाऊ, उपाध्यक्ष द्वारा सदन के समक्ष में स्पष्ट रूप से कहा गया कि श्री कैलाश मिश्रा जो उपाध्यक्ष है एवं संस्था के हितैषी बनते है इन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय को गुमराह कर झूठी शिकायतें कराकर राज्य पुरस्कार रैली में उन्हें आने से मना किया तथा संस्था को बदनाम करने हेतु अक्सर झूठी शिकायतें करते रहते हैं। इसी प्रकार श्री मिश्रा ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम में आने से रोका। श्री मिश्रा के क्रिया कलाप न सिर्फ संस्था के विरोधी है बल्कि उनके द्वारा किये जा रहे इन कृत्यों से संस्था बदनाम हो रही है । इस पर श्री कैलाश मिश्रा ने कहा कि राज्य पुरस्कार रैली में छतरपुर जिले के बच्चों के नाम शामिल किये गये थे । इसलिए उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय को राज्य पुरस्कार रैली में आने से रोकने हेतु शिकायत की। इस पर सदन ने आपत्ति उठाई और श्री मिश्रा को बताया कि कोई भी बच्चा बिना प्रतिभा के सम्मिलित नहीं हो सकता है । सदन ने श्री मिश्रा की इस तरह की गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह संस्था बदनाम होगी, श्री मिश्रा को ऐसा नहीं करना चाहिए ।

श्री मिश्रा द्वारा इस पर कोई अफसोस व्यक्त नहीं किया। अतः श्री भंवर शर्मा, श्री रमेश चन्द्र शर्मा, श्रीमती संध्या जायसवाल ने श्री मिश्रा के इस कृत्य की निदां की जिससे सदन भी सहमत था। **अतः संस्था सदस्यों ने श्री मिश्रा के ऐसे कृत्य को संस्था विरोधी माना । श्री दिलीप मेहता ने श्री मिश्रा के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की जिस पर सदन सहमत था।**

श्री रमेश शर्मा ने उज्जैन में सिहंस्थ को ध्यान रखते हुए कर्मचारी/सहायक की नियुक्ती की मांग की । अध्यक्ष महोदय ने इस हेतु विचार कर सूचित करने का निर्णय दिया।

निर्णय :—समस्त बिन्दुओं पर विचार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए संस्था के विरूद्ध कार्य करने वाले लोगों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये ।

बिन्दु क्र.11 : अध्यक्षीय उद्बोधन :—

श्री नानाभाऊ मोहोड़, पूर्व राज्य मंत्री (स्कूल शिक्षा) म.प्र. शासन, विधायक एवं अध्यक्ष, भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा— राज्य परिषद बैठक में उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण मुझे आपके समक्ष राज्य परिषद की इस बैठक में दूसरी बार उपस्थित होने का सुअवसर मिला। इस संस्था को सुचारू रूप चलाने में वित्तिय स्थिति का भी ध्यान रखा जावे क्योंकि राशि की व्यवस्था बहुत मुश्किल से होती है । हमें स्काउटिंग से लेने की अपेक्षा देने का सोचना चाहिये ।

संस्था की उपलब्धियों से मैं प्रसन्न हूँ राज्य स्तरीय स्काउट एंव गाइड रैली, कब–बुलबुल उत्सव कार्यक्रम बहुत अच्छे से सम्पन्न हुए जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं । मेरे द्वारा भी कर्मचारियों के हितों का हमेशा ध्यान रखा जावेगा, इसी कड़ी में आज संस्था में छटँवा वेतन लागू करने एवं समय पर वेतन भत्ते प्रदान करने की स्वीकृति दी गई । आप सभी बैठक में उपस्थित हुए एवं बैठक में सहयोग प्रदान किया । आज की बैठक में अनेक विषयों पर चर्चा हुई व सहयोगी वातावरण में बैठक सम्पन्न हुई । मेरा विचार है कि हमें पूर्व की बातों में बहुत अधिक नहीं जाना चाहिये । भारत स्काउट एंव गाइड संस्था से मुझे जुड़ने का अवसर मिला है मैं. विश्वास दिलाता हूँ कि संस्था के विकास हेतु व समस्याओं के निदान हेतु हम सभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मिलेंगे एवं प्रगति में सहयोगी रहेंगें । मैं संस्था हेतु हमेंशा उपलब्ध हूँ । धन्यवाद ।

बिन्दु क्र.12 : **<u>धन्यवाद (आभार)</u>** **श्री प्रकाश हेडाऊ, उपाध्यक्ष ने** सभा में उपस्थित मान. अध्यक्ष महोदय एवं समस्त पदाधिकारीगण, परिषद् सदस्य व अन्य सभी का अभिवादन करते हुये कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय जो

पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री एवं वर्तमान विधायक है के द्वारा आज संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों के हित में बहुत दिनों से <u>लंबित छटवें वेतनमान को लागू करने, एवं समय पर देय भत्ते प्रदान करने की घोषणा की है</u> जिस हेतु हम सभी माननीय के आभारी होते हुए उनके यशस्वी जीवन एवं पुनः शासन में मंत्री पद पर सुशोभित होने की कामना करते है । माननीय अध्यक्ष जी बैठक में उपस्थित सदस्यों की समस्याओं का अवश्य निदान करवायेंगे ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है ।

हम सभी को शिकवा शिकायत न करते हुए सामुहिक रूप से समर्पित होकर स्काउटिंग करना चाहिये, इस हेतु हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में आयोजित परिषद की बैठक सभी सदस्य दूर–2 से पधारे और उत्साह पूर्वक बैठक में भाग लिया, कुछ सदस्य महाकाल की नगरी से कुछ पशुपतिनाथ जी की नगरी से, बहुत से सदस्य राजा भोज एंव ताल तलैया की नगरी एवं दूरस्थ स्थानों से पधारे आपके आगमन से हमारा एवं इस नगर का सम्मान हुआ जिस हेतु मैं मेरी और जिला संघ इंदौर की ओर से आपका आभारी हूँ । ।

अंत में पुनः बैठक में पधारे सम्मानीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद एव आभार प्रकट करता हूँ।

(नानाभाऊ मोहोड़)
अध्यक्ष,
राज्य परिषद
अध्यक्ष
भारत स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश

(जी.आर.शर्मा)
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.